भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1206
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

लॉकडाउन अवधि के दौरान रोजगार सृजन

1206 डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के पश्चात् गत पाँच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जान के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो मंत्रालय द्वारा उक्त के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या अनलॉक 1.0 के पश्चात् किसी रोजगार का सृजन हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस चले गए हैं। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तथा आत्मनिर्भर भारत की हिमायत की है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, व्यवस्था, अवसंरचना, उत्साहवर्धक जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है जिससे युवाओं हेतु रोजगार सृजित हो।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है। 16 सितम्बर, 2020 तक 44.42 लाख कर्मचारियों के लिए 2.79 लाख प्रतिष्ठानों ने लाभ का दावा किया है जिसके लिए 2224.52 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रम को घर के निकट कार्य करने में सहायता करने के लिए उनकी कौशल मैपिंग की जा रही है। इस अभियान में 125 दिनों में एक मिशन मोड अभियान में कार्यान्वित किए जाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवृत से 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्यों का सघन एवं संकेंद्रित कार्यान्वयन शामिल है।

*उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 08.09.2020 की स्थिति के अनुसार 22761 करोड़ रुपए व्यय के साथ कुल सृजित रोजगार (दिनों में) 26,34,23,281 दिवस है।

सरकार ने अवसंरचना लॉजिस्टिक, क्षमता निर्माण, कृषि, मत्स्य एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों हेतु शासन एवं प्रशासनिक सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाएं हैं। इसमें किसानों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि; सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना; प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये; राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम; 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना; 4,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हर्बल खेती को बढ़ावा देना; 500 करोड़ रुपए की मधुमक्खी पालन पहल; कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय; किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन; किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार; कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन शामिल है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

*****